

प्रपत्र— 2.18

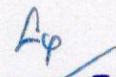
परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह०/— 
अधिसारि अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०, कपकोट
बागेश्वर
प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

ह०/— 
प्रभागीय दनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
प्रभागीय दनाधिकारी


प्रभागीय दनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
प्रभागीय दनाधिकारी

नोट:— उक्त प्रमाण—पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा। (संलग्न)